

कार्यालय
सहायक अभियन्ता, प्रथम
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-चम्पावत

पत्रांक 116


दिनांक 08-2-2021

प्रमाण पत्र


कार्य का नाम - रा0इ0का0 चम्पावत।

प्रमाणित किया जाता है कि राजकीय इण्टर कालेज, चम्पावत की बिल्डिंग मानकानुसार सही पायी गयी। उक्त प्रमाण पत्र, जारी करने की दिनांक से 05 वर्ष की अवधि तक वैध होगा। 05 वर्ष के उपरान्त पुनः नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।


ME



अभिजाती अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड चम्पावत


सहायक अभियन्ता, प्रथम
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-चम्पावत

Self-attested



प्रधानाचार्य
आदर्श विद्यालय
रा० इ० का० चम्पावत
(उत्तराखण्ड)